उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार काउपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या– 8352 –गोपन(06)/पाकालि/15, 1-सा-गो-/14 दिनांक : 27-11- , 2015

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय – समस्त अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वर्ष 2014–15 एवं विगत वर्षों की लम्बित वार्षिक गोपनीय आख्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1046–गोपन(06)/पाकालि/15–1सा0गो0/14, दिनांक 09.03.15 एवं तद्क्रम में जारी पत्र सं0–4963–गोपन(06)/पाकालि/15–02सा0गो0/2014, दिनांक 15.07.15 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

कारपोरेशन द्वारा वार्षिक गोपनीय आख्या/स्वांकन प्रपत्र के प्रस्तुतिकरण एवं मूल्यांकन की प्रकिया निर्धारण विषयक आदेश सं0–824–काविनी/राविप–29/96–08काविनी/93, दिनांक 18.04.96 एवं तद्क्रम में समय–समय पर जारी दिशा–निदेशों के पश्चात् भी प्रायः यह संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपने स्वांकन प्रपत्र का प्रस्तुतीकरण/गोपनीय आख्याओं का अंकन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विगत कई वर्षों की वार्षिक गोपनीय आख्याएं अत्यधिक विलम्ब से एवं अपूर्ण अवस्था में एक साथ कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाती है। इस स्थिति में मुख्यालय स्तर से अपूर्ण आख्याओं को पूर्ण कराये जाने हेतु पत्राचार करने में अनावश्यक समय नष्ट होता है तथा प्रभावित अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी (प्रोन्नति/समयबद्ध वेतनमान इत्यादि) प्रकरणों के निस्तारण में व्यवधान भी उत्पन्न होता है। कतिपय प्रकरणों में प्रतिवेदक/समीक्षक एवं अन्तिम अधिकारी तीनों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण आख्या अंकित कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ ऐसे समस्त अधिकारियों, जिनकी वर्ष 2014–15 एवं उससे पूर्व की गोपनीय आख्याएं अभी भी लम्बित हैं, को पूर्ण कराने की दिशा में, अपना स्वांकन प्रपत्र (प्रपत्र के साथ संलग्न श्वेत पत्र पर वांछित सूचनाएं पूर्ण करते हुए) भरकर तत्काल प्रस्तुत करने हेतु निदेशित करें तथा ऐसी समस्त आख्याओं को उनके प्रतिवेदक, समीक्षक एवं अन्तिम अधिकारियों से पूर्ण कराये जाने के उपरान्त अधिकतम 15 दिनों की अवधि में, यदि आवश्यक हो तो विशेष पत्र वाहक के माध्यम से, कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराए जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें। यदि आख्या प्रतिवेदक, समीक्षक अथवा अन्तिम अधिकारी के स्तर पर लम्बित हैं तो इसकी स्पष्ट सूचना, साक्ष्य सहित, सम्बन्धित अधिकारी कारपोरेशन (मुख्यालय) को प्रेषित करें।

विगत वर्षों की आख्याएं लम्बित रहने की स्थिति को कारपोरेशन स्तर पर गम्भीरता से लिया गया है तथा यह आदेश सं0–824–काविनी/राविप–29/96–08काविनी/93, दिनांक 18.04.96 में निहित निदेशों का स्पष्ट उलंघन है। अतएव सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत कर दें कि इस अवसर का उपयोग करते हुए 15 दिनों की अवधि में लम्बित आख्याएं अवश्यमेव पूर्ण करा लें/कारपोरेशन(मु0) पर उपलब्ध करा दें अन्यथा की स्थिति में उपर्युक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 18.04.96 में निहित प्राविधानों के तहत समुचित कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

P.T.O.

सूचनीय है कि अनुपलब्ध आख्याओं की स्थिति समय–समय पर कारपोरेशन की वेबर (www.uppcl.org) पर डाली जाती है। 31 अक्टूबर, 2015 तक की स्थिति वेबसाईट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

भवदीय,

27/11/15

(बी0के0 खरे)
अपर सचिव–द्वितीय

संख्या– 8352 –गोपन(06)/पाकालि/15,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पाकालि एवं उ0प्र0 ट्रॉस्को, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ।
3. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पाकालि, महानगर, लखनऊ।
4. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–01/02), उ0प्र0 पाकालि एवं ट्रॉस्को।
6. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उपमहाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पाकालि एवं उ0प्र0 ट्रॉस्को।
7. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाईट), उ0प्र0 पाकालि, कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी0के0 गुप्ता)
उपसचिव(गोपन)